# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील / डिक्री / टीए / 5036 / 2004 / जालोर**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर जिला जालोर

**.....अपीलार्थी**

**बनाम**

1– भला पुत्र चेतन विश्नोई (फौत) के कायम मुकाम :–

1 / 1. बाबूलाल पुत्र भलाराम

1 / 2. ठाकराराम पुत्र भलाराम

1 / 3. मोहनलाल पुत्र भलाराम

1 / 4. मु0 लुधा देवी बेवा भलाराम

समस्त जाति विश्नोई निवासी मेघावा तहसील चितलवाना जिला जालोर

1 / 5. मोहनबाई पुत्री भलाराम पत्नि बाबूलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम विरावा तहसील चितलवाना जिला जालोर

**..... प्रत्यर्थीगण**

**खण्ड–पीठ**
**श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष**
**श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य**

**उपस्थित :**
श्री एस.एन.बेनीवाल, अति0 राजकीय अभिभाषक
श्री गौरव दवे, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

**दिनांक 25.07.2025**

## निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैंप जालोर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1 / 2–9–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचोर के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी खसरा नंबर 51 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, 52 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 339, 340, 344,

345, 346, 347, 345/983 कुल रकबा 5.54 हेक्टयर स्थित ग्राम मेधावा पर उसका पुश्तैनी कब्जाकाश्त चला आ रहा है एवं उसकी रहवास ढाणी व कुंआ बना हुआ है। गलती से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। अतः वाद डिक्री किया जाकर उसे विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचोर ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 24–6–04 द्वारा खारिज कर दिया।

3– परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैंप जालोर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैंप जालोर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 1/2–9–04 द्वारा प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय या उससे पूर्व विवादित आराजी को बतौर कृषक काश्त करता चला आ रहा है, यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। उसके द्वारा संवत् 2012 के पूर्व का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही उक्त तथ्य को साक्ष्य से सिद्ध किया गया। इसके विपरीत राजस्व रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से विवादित आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर वादी रेस्पोडेंट का कब्जा महज अतिक्रमी की हैसियत से है। एक अतिक्रमी के हक में खातेदारी की घोषणा की डिक्री नहीं दी जा सकती। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज रही है तथा आज दिनांक तक सिवायचक दर्ज है। वादी रेस्पोडेंट का विवादित आराजी पर कोई हक अधिकार है तो उसे प्रथम एवं द्वितीय बंदोबस्त के समय अपने एतराज प्रस्तुत करने चाहिये थे, जो उसने नहीं किये। इससे सिद्ध है कि विवादित आराजी पर वादी का किसी प्रकार का कोई हक व स्वत्व नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी रेस्पोडेंट के विरूद्ध बदेखली की कार्यवाहीं कर समय समय पर भौतिक रूपसे बेदखल किया जाता रहा है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी पेश नहीं की। खसरा गिरदावरी पेश की है जो अतिक्रमियों के लिये तैयार की जाती है। खसरा परिवर्तनशील का कोई महत्व नहीं है एवं ना ही इसके आधार पर डिक्री पारित की जा सकती है। सहायक कलेक्टर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार

पर तनकीयात कायम करते हुये वादी का वाद सही रूप से खारिज किया था। जब तक वादी अपने वाद को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपीलीय न्यायालय ने वाद को गलत डिक्री किया है। कानूनन कोई व्यक्ति खातेदारी का दावा करता है तो उसे साक्ष्य से सिद्ध करना होता है कि वह उसका खातेदार काश्तकार है। अपीलीय अधिकारी ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकियात कायम की जाकर सभी तनकियों पर विस्तृत विवेचन करते हुये वाद खारिज किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये तनकीवार निर्णय एवं साक्ष्यों का विवेचन विश्लेषण नहीं कर यह लिखकर की अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से वे सहमत नहीं है, परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से विवादित आराजी पर प्रत्यर्थी वादी का पुश्तैनी कब्जाकाश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी के चारों और पक्की माठें बनी हुई है, प्रत्यर्थी वादी की रहवासी ढाणी एवं कुंआ बना हुआ है। प्रथम सर्वे के दौरान विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वादी द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद सिद्ध किये जाने की स्थिति में ही अपीलीय न्यायालय ने वाद को डिक्री किया है। विवादित आराजी पर विगत 60—70 वर्षो से वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी की अपील स्वीकार कर वाद डिक्री करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विवादित आराजी परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचोर ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 24—6—04 द्वारा खारिज किया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैंप जालोर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक

1/2–9–04 द्वारा स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं.1 वादी के पक्ष में निर्णित करने का मुख्य आधार यह लिया है कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जाकाश्त संवत् 2014 से पूर्व से पुश्तैनी चला आ रहा है। जबकि विचारण न्यायालय ने तनकी सं.1 वादी के विरूद्ध तय करने का आधार यह अंकित किया कि इएक्सपी–1 से इएक्सपी–42 खसरा नम्बर 51 व 52 की खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2014 से 2054 तक की है। जो वादी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण बेदखली करने व जुर्माना आरोपित करने हेतू राजस्व विभाग द्वारा तैयार की जाती है। इएक्सपी–44 जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 के अनुसार ख. नं. 51 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 52 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा ग्राम मेघावा राजकीय सिवायचक दर्ज हैं। इएक्सपी–45 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख. नं. 51 से नवीन ख. नं. 339 रकबा 0.01, 340 रकबा 2.50 के बने है तथा ख. नं. 52 से 344 रकबा 0.05 हेक्टर, 345 रकबा 0.73 हैक्टयर, 346 रकबा 2.14 हेक्टयर, 347 रकबा 2.42 हेक्टयर, 345/983 रकबा 0.30 हेक्टर है तथा नकल जमाबंदी इ. पी. 43 संवत् 2055 से 2058 अनुसार ख. नं. 339, 340, 344 व 345 अलावा जोत काबिजकाश्त राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत रसीदों से यह सिद्ध नहीं होता कि यह रसीदें पुराना खसरा नं. 51 व 52 से संबंधित है। इसी प्रकार इएक्सपी–53 खतौनी जमाबंदी हिस्साए 2. मौजा वीरावा चेतन वल्द रूगा का खसरा नंबर 1051 पर 10 बीघा की काश्त दर्शाई है। खसरा नं० 1051 से ख.नं. 51 व 52 बने हैं। इस तथ्य को वादी ने साक्ष्य से साबित नहीं किया है। इस प्रकार साक्ष्य सबूत के अभाव में वादी के तनकी सं.1 को साबित करने मे असफल रहने एवं भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज होने से वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी विचारण न्यायालय ने नहीं मानते हुये तनकी सं.1 को वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में तय किया है, जो पूर्णरूप से विधिसम्मत् है। अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं.2 का निस्तारण तनकी सं.1 के आधार पर तथा 2001 आरआरडी पेज 184 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मत के प्ररिप्रेक्ष्य में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की है। विचारण न्यायालय ने तनकी सं.2 को नकल जमाबंदी इएक्सपी–43 व 44 के अनुसार मुतवादिया भूमि राजकीय सिवायचक है एवं इएक्सपी 1 से 42 के अनुसार खसरा परिवर्तनशीलों के माध्यम से वादी व उसका पिता अतिक्रमी होने से उसके विरूद्ध धारा–91 भू. राज. अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाकर जुर्माना आरोपित किया है। गवाह डी.डब्ल्यू.1 पटवारी हल्का केरिया के बयानों के अनुसार वादी को मौके पर से बेदखल किया गया है तथा वर्तमान में मौके पर उसका कोई कब्जा नहीं है। वादी अतिचारी है। लम्बी अवधि तक अतिक्रमण के आधार पर वादी को खातेदार टिन्नेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत घोषित नहीं किया जा सकता तथा तनकी सं.2 प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरुद्ध तय की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। रेस्पोडेंट वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत

न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचोर ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 24–6–04 द्वारा सही रूप से खारिज किया था। जब तक वादी अपने वाद को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र लम्बे समय से कब्जे को महत्व देते हुये पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित विवेचन किये बिना परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये वादी का वाद डिक्री कर वादी को विवादित आराजी का का खातेदार घोषित किया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वैसे भी कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते।

9– वादीगण का वाद सिद्ध नही होने की स्थिति में ही परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ तनकीवार निष्कर्ष अंकित कर वादी का वाद खारिज किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को सही आलोक में नहीं देखकर मात्र लम्बे समय से कब्जे के आधार पर वादी की अपील स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

10– उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैंप जालोर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1/2–9–04 को निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर सांचोर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–6–04 को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(मदनलाल नेहरा)**
**सदस्य**

**(हेमन्त कुमार गेरा)**
**अध्यक्ष**